R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 9
मार्च 2010

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक ने स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को कतिपय शर्तों के अधीन 31 मई 2010 तक परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के एक भाग को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति दी है। उक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को अगली सूचना तक अपनी प्रतिभूतियाँ एचटीएम श्रेणी में जारी रखने की अनुमति दी जाए। अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी। विभागीय रू प से पीडी गतिविधियाँ करनेवाले बैंक निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देर्शों का पालन करना जारी रख सकते हैं।

चेक फार्मों में सुरक्षा विशेषताएं

रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए चेकों का मानकीकरण प्राप्त करने के प्रति कतिपय न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इन मानदण्डों में चेक फार्मों पर कागज़ की गुणवत्ता, वॉटर-मार्क, अदृश्य स्याही में बैंक का लोगो, वॉयड पैंटोग्राफ आदि जैसे अधिदेशात्मक न्यूनतम सुरक्षा विशेषताओं के प्रावधान तथा चेकों पर क्षेत्र अंतरण के मानकीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय वांछनीय विशेषताएं भी प्रस्तावित की गई हैं जो बैंकों द्वारा उनकी आवश्यकता और जोखिम अवधारणा के आधार पर कार्यान्वित की जा सकती हैं। न्यूनतम विशेषताओं का सेट न केवल देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए संपूर्ण चेक फार्मों में एकरू पता सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रस्तुतकर्ता बैंकों को एक इमेज आधारित संसाधन परिदृश्य में आहरणकर्ता बैंकों के चेकों की छानबीन/पहचान करते समय प्रस्तुतकर्ता बैंकों की सहायता भी करेगा। सुरक्षा विशेषताओं में एकरूपता से चेक जलसाज़ी के विरूद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करने की आशा की जाती है, जबकि चेक फार्मों पर क्षेत्र अंतरण का मानकीकरण ऑप्टीकल/इमेज कैरेक्टर पहचान प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सीधे संसाधन में सहायता करेगा। यह स्मरण होगा कि पूर्व में चेक फार्मों के पुन: मानकीकरण की जाँच तथा उनमें सुरक्षा विशेषताएं बढ़ाए जाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल में रिज़र्व बैंक के अलावा विभिन्न स्टेकधारक उदाहरणार्थ; वाणिज्यिक बैंक, कागज़ विनिर्माता, सुरक्षा मुद्रक आदि शामिल थे। इस कार्यदल की अनुशंसाओं पर आंतरिक रूप से चर्चा की गई तथा इसे भारतीय बैंक संघ (आइबीए), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) और चयनित बैंकों को उनके विचार जानने के लिए भेजा भी गया था।

बचत बैंक खाते पर ब्याज

कंप्यूटरीकरण के वर्तमान स्तर को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान 1 अप्रैल 2010 से एक दैनिक उत्पाद आधार पर किया जाए। सहज अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसका तौर-तरीका तैयार करें।

निर्यात ऋण पर ब्याज दर की सीमा

रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दर लाइबोर से 350 आधार अंक अधिक की वर्तमान सीमा से घटाकर लाइबोर से 200 आधार अंक अधिक कर दिया है। यह कटौती इस स्पष्ट शर्त के अधीन की गई है कि फुटकर खर्च की वसूली को छोड़कर बैंक सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि जैसे कोई अन्य प्रभार नहीं लगायेंगे। ब्याज दरों में इसी प्रकार के परिवर्तन उन मामलों में लागू किए जाएं जहाँ यूरो लाइबोर/यूरीबोर को बेंचमार्क माना गया है। ब्याज दरों में यह परिवर्तन केवल नये अग्रिमों पर लागू होगा। इसके अलावा विदेशी बैंकों के साथ ऋण व्यवस्था पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 150 आधार

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग	1
चेक फार्मों में सुरक्षा विशेषताएं	1
बचत बैंक खाते पर ब्याज	1
निर्यात ऋण पर ब्याज दर की सीमा	1
बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटन	2
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) नीति	2
मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परिभाषा	2
समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग	2
सहकारी बैंकिंग	
स्वर्ण की जमानत पर ऋण	3
सूचना	
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली	3
सूचना	
ऋण गारंटी योजना की समीक्षा	3
ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों का विनियमन	4
अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा	4

अंक अधिक से घटाकर छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यरीबोर से 100 आधार अंक अधिक कर दिया गया है।

बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटन

रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से बैंकों के तुलनपत्र में *खाते पर टिप्पणी* में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन निर्धारित करने का निर्णय लिया है:

- जमाराशियों, अग्रिमों, निवेशों, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संक्रेंद्रीकरण
- क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)
- अनर्जक आस्तियों का आदान-प्रदान
- समुद्रपारीय आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व
- बैंकों द्वारा प्रायोजित तुलनपत्रेत्तर विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी)

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) नीति

वर्तमान नीति के अनुसार, अनुमोदित मार्ग के तहत अनिवासी व्यक्ति द्वारा स्वदेशी मूल्य-वर्गांकित सुनियोजित दायित्वों को संवृद्ध ऋण की अनुमति है। बुनियादी सुविधा क्षेत्र में निधियों की बढ़ती हुई जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि स्वदेशी ऋण में ऋण संवृद्धि पर एक व्यापक नीतिगत ढाँचा तैयार किया जाए। अब यह निर्णय लिया गया है कि पात्र अनिवासी संस्थाओं द्वारा ऋण में वृध्दि की सुविधा, केवल संरचना क्षेत्र के विकास में लगी भारतीय कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ (आइएफसीएस), जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, द्वारा पूंजी बाजार लिखतों, जैसे डिबेंचरों और बांडों के जारी करने के जरिये उठाये गये स्वदेशी ऋण तक बढ़ाया जाए, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं :

- बहुदेशीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण में वृध्दि प्रदान किये जाने के लिए अनुमति दी जाएगी;
- अंतर्निहित ऋण लिखत को सात वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता होनी चाहिए;
- सात वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता तक ऐसे पूंजी बाजार लिखतों के लिए पूर्वभुगतान और क्रय-विक्रय विकल्प की अनुमति नहीं होगी;
- ऋण में वृध्दि के संबंध में गारंटी फीस और अन्य लागत, निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित रहेगी ;
- ऋण में वृध्दि लागू करने पर, यदि गारंटीकर्ता देयता चुकाता है और यदि पात्र अनिवासी संस्था को उक्त राशि विदेशी मुद्रा में चुकाने की अनुमति है, तो व्यापार ऋण /बाह्य वाणिज्य उधारों (ईसीबीएस) की संबंधित परिपक्वता अवधि को लागू समग्र लागत सीमा नवीकृत ऋण के लिए लागू होगी।
- चूक होने पर और यदि ऋण का भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाता है तो ब्याज की लागू दर, नवीकरण की तारीख को बांड के कूपन अथवा 250 आधार बिंदु से उपर 5 वर्ष की भारत सरकार की प्रतिभूति का प्रचलित अनुषंगी बाजार प्रतिफल, जो भी उच्चतर हैं, होगी।
- ऋण में वृध्दि सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखनेवाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) को परिपत्र में निर्धारित पात्रता मानदंड और विवेकपूर्ण मानदंड का पालन करना होगा और यदि नवीकृत ऋण विदेशी मुद्रा में नामित किया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी को समग्र विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करना होगा।
- बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) को यथा लागू रिपोर्टिंग व्यवस्था नवीकृत ऋणों के लिए लागू होगी।

मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परिभाषा

"कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भंडारण के लिए खेत-स्तर पर प्री-कूलिंग सहित शीतगृहों में भंडारण अथवा कोल्ड रूम -सुविधा" शामिल किये जाने के लिए बाह्य वाणिज्य उधार लेने के प्रयोजन से संरचना क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में विस्तार किया गया है। तदनुसार, अब इसके आगे से संरचना क्षेत्र की परिभाषा में (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत रोड, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी बुनियादी आवश्यकताएं (पानी की आपूर्ति, स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजनाएं), (viii) खनन,अन्वेषण और परिष्करण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा माँस के भंडारण के लिए खेत-स्तर पर प्री-कूलिंग सहित शीतगृहों में भंडारण अथवा कोल्ड रूम -सुविधा" शामिल की जायेगी। बाह्य वाणिज्य उधार नीति के सभी अन्य पहलू, जैसे स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष प्रति कंपनी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, अंतिम उपयोग, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान, वर्तमान बाह्य वाणिज्य उधार का पुन:वित्तीयन और रिपोर्टिंग व्यवस्था तथा निर्धारित शर्तें यथावत् रहेंगी।

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग

भारतीय पक्षों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआइ) पर रिपोर्टिंग पैकेज की समीक्षा करते हुए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से 2 मार्च 2010 से चरण-बध्द तरीके से ऑन-लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली परिचालित की जाये। इस प्रणाली की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार है :

- यह नई प्रणाली यूनीक पहचान नंबर (यूआईएन), प्रेषण/प्रेषणों की पावती और वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) स्वयं तैयार कर सकेगी और प्राधिकृत व्यापारी स्तर पर किसी भी संदर्भ के लिए आंकड़ों तक आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।
- योजना के अनुसार, शुरुआत में, यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) के आबंटन, अनुवर्ती प्रेषणों की रिपोर्टिंग और वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) भरने के लिए ओडीआइ फॉर्म का भाग-I (खंड क से घ तक), भाग-II और भाग-III समुद्रपारीय निवेश अनुप्रयोग में ऑन-लाइन फाइल किया जाये। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, ओडीआइ फॉर्म प्राप्त करते रहेंगे, जिसे आवश्यकतानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) के अनुसार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए।
- पारस्परिक निधियों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआइएस) और कर्मचारी स्टाफ विकल्प योजना (इएसओपीएस) के संबंध में लेनदेन को भी ओआइए में ऑन-लाईन रिपोटिंग अपेक्षित है।
- ऑन-लाइन रिपोर्टिंग, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की केंद्रीकृत इकाई/ नोडल ऑफिस द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऑन-लाइन दी गयी जानकारी की वैधता के लिए जिम्मेदार होंगे। भाग-1 की ऑन-लाइन रिपोर्टिंग के अलावा, अनुमोदन के प्रयोजन हेतु, समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत आवेदनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को भौतिक रूप में ऊपर वर्णित

तरीके से प्रेषित किये जाते रहेंगे जैसाकि अब तक किया जाता रहा है।

- स्वतः अनुमोदित/अनुमोदित मार्ग (ओडीआइ फॉर्म का भाग IV) के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं की समापन/विनिवेश/बंद करने/स्वैच्छिक समापन संबंधी लेनदेनों की रिपोर्टिंग भौतिक रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी जैसाकि वर्तमान में की जाती है। नई रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत ऑन-लाइन यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) तैयार कर सकेंगे। तथापि, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुवर्ती प्रेषणों तथा अनुमोदन मार्ग के तहत प्रेषण रिज़र्व बैंक से यूआइएन नंबर संपुष्ट करनेवाले पत्र की प्राप्ति के बाद ही किए जाएं और इसकी ऑन-लाइन रिपोर्टिंग भाग II में की जाए।

सहकारी बैंकिंग

स्वर्ण की जमानत पर ऋण

राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपनी उधार नीति के भाग के रू प में स्वर्ण आभूषण की जमानत पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण प्रदान करते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाते हैं। समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋणों की एकमुश्त बड़ी और अंतिम चुकौती की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधिन दी जाए -

- मंजूर किए गए स्वर्ण ऋण की राशि कभी भी 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मंजूरी की तारीख से ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो।
- इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा लेकिन वह मूलधन की चुकौती के साथ भुगतान के लिए देय केवल मंजूरी की तारीख से 12 माह के अंत में ही होगा।
- बैंकों को ऐसे ऋणों के मामले में एक न्यूनतम मार्जिन बनाई रखनी चाहिए और तदनुसार प्रतिभूति (स्वर्ण/स्वर्णभूषण) के मूल्य, मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव तथा ऋण की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
- ऐसे ऋण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदण्डों से नियंत्रित होंगे तथा मूलधन एवं ब्याज के एक बार अतिदेय हो जाने की स्थिति में उन पर लागू होंगे।
- यदि निर्धारित मार्जिन नहीं बनाई रखी जा रही हो तो इस खाते को चुकौती की तारीख से पहले भी अनर्जक आस्ति (अवमानक श्रेणी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

स्वर्ण/स्वर्णभूषण की संपार्श्विक प्रतिभूति पर मंजूर फसल ऋणों पर विद्यमान आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदण्ड लागू रहेंगे।

सूचना

ऋण गारंटी योजना की समीक्षा

मध्यम और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएस) की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के संपार्श्विकता-मुक्त ऋण के बढ़े हुए प्रवाह के उपयोग तथा सुविधा प्रदान करने में और बढ़ोतरी के लिए कई अनुशंसाएं की है। कार्यदल की इन अनुशंसाओं की मुख्य-मुख्य बातें निम्नप्रकार हैं :

- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विकतामुक्त ऋण की सीमा वर्तमान स्तर के 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की जाए और इसे सभी बैंकों के लिए अधिदेशात्मक बनाया जाए।
- 5 लाख रुपयों से 10 लाख रुपयों तक संपार्श्विकतामुक्त ऋण सीमा बढ़ाए जाने की अनुशंसा के अनुरूप चूक के रूप में 85 प्रतिशत की राशि तक गारंटी कवर को 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाओं पर लागू किया जाए। तथापि, 10 लाख रूपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवर की सीमा 75 प्रतिशत होगी तथा 50 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं में 50 लाख रुपए तक और 50 लाख रुपए से अधिक की राशि के 50 प्रतिशत तक के लिए सीमा इस येाजना के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार 75 प्रतिशत होगी।
- 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क इस प्रावधान के तहत मध्यम और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा आमेलित किया जाना है कि तेज़ी से विकसित दावों के वितरण के मॉडलिंग पर आधारित अधोमुखी और उर्ध्वमुखी दोनों ओर गारंटी शुल्क समायोजित करने के लिए न्यास स्वतंत्र होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मध्यम और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसइ) दीर्घावधि में स्व-वित्त पोषित और स्व-धारणीय बना रहे।
- सीजीटीएमएसई 1% प्रतिवर्ष मिश्रित, समस्त गारंटी शुल्क प्रभारित करे तथा महिला उद्यमियों, सूक्ष्म उद्यमों और सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थिति इकाईयों को प्रभार योग्य गारंटी शुल्कों के प्रति समुचित रूप से अधोमुखी होकर समरूप बना रहे। यह न्यास कार्यदल द्वारा प्रस्तावित मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन मॉडेल के आधार पर प्रभारित किए जानेवाले गारंटी शुल्क की वार्षिक समीक्षा भी करे।
- छोटे ऋण खातों के संबंध में दावें दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण की दृष्टि से गारंटी माँगने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में कानूनी प्रक्रियाएं शुरु करने को 50 हजार रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए हटा दिया जाए।
- न्यास की सदस्य ऋण दाता संस्थाओं (एमएलआइ) को अनुमति दी जाए की वे वर्तमान में एक वर्ष के भीतर की अवधि निर्धारण के बदले अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते के वर्गीकरण की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर गारंटी की माँग करें।
- न्यास द्वारा भुगतान अंतिम दावा वसूली के निर्णय की समयावधि अर्थात् निर्णय प्राप्त करने के बारह वर्षों के बाद ही न्यास द्वारा अंतिम दावा जारी किए जाने की प्रक्रिया के बदले वसूली के निर्णय प्राप्त होने के तीन वर्षों के बाद किए जाए।
- बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) अपने फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन के एक मानदण्ड के रूप में इस संबंध में कार्यनिष्पादन करने सहित सीजीएस कवर का लाभ उठाने के लिए शाखा स्तरीय कार्मिकों को मज़बूती से प्रोत्साहित करने के मामले में समग्र और संपूर्ण स्वामित्त्व स्वीकार करें।

इस कार्यदल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का परिणाम इस गारंटी योजना के उपयोग के परिवर्धन के रूप में हो तथा वर्तमान में शामिल और इससे बाहर के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की गुणवत्ता और परिमाण में बढ़ोत्तरी को सुविधा प्रदान करे जिससे साथ-ही-साथ निरंतर समावेशित वृद्धि हो सके।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों का विनियमन

वित्तीय बाज़ारों पर एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति के आग्रह पर ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों (सीआरए) की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विधिक और नीति ढाँचे की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने विद्यमान विनियमनों को मज़बूत बनाने के लिए गई अनुसंशाएं की है। समिति ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को ध्यान में रखा है और अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्धित प्रकटन निर्गमकर्ता भुगतान प्रतिदर्श के जारी रहने, सुदृढ़ प्रक्रिया और अनुपालन लेखा परीक्षा, स्वामित्व परिवर्तनों की रिपोर्टिंग, चूक का प्रकटन और अंतरण सांख्यिकी तथा ऋण प्रात्रता निर्धारण एजेंसियों के विनियमन को इन सुझावों के अनुरूप उनके सुदृढ़ीकरण की अनुसंशा की है।

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा

अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में हाल की गतिविधियों पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने के साथ परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में इसे और प्रभावी बनाने के लिए कई अनुशंसाएं की है। इन अनुशंसाओं की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है :

- राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकें तिमाही अंतरालों पर नियमित रू प से आयोजित की जाएं और उनकी अध्यक्षता आयोजक बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा की जाए। इसके अतिरिक्त राज्य-स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों की सह-अध्यक्षता संबंधित राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा विकास आयुक्त द्वारा की जाए।
- राज्य-स्तरीय बैंकर समित की भारी सदस्यता की दृष्टि से राज्य-स्तरीय बैंकर समिति के लिए यह वांछनीय होगा कि वह विशिष्ट कार्यों के लिए उप समितियाँ गठित करे।
- राज्य-स्तरीय बैंकर समिति का सचिवालय/कार्यालय इसके कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राज्य-स्तरीय बैंकर समिति के आयोजक बैंक को मज़बूत बनाने के लिए पर्याप्त ढंग से सुदृढ़ रहे।
- राज्य-स्तरीय बैंकर समिति के आयोजक बैंकों/अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के प्रवेश के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए तात्कालिक आावश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें।
- अग्रणी बैंक यह सुनिश्चित करें कि अग्रणी बैंक योजना में निजी क्षेत्र के बैंक और निकटता से शामिल हों।
- वर्ष के लिए अपनी कारोबारी योजनाओं को अंतिम रूप देते समय बैंकों के आंचलिक/नियंत्रक कार्यालय वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) में की गई प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखें जो कार्यनिष्पादन बजट को अंतिम रूप देने के पहले ठीक समय पर पूरी तरह तैयार रहे।
- अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) क्षेत्र में उपस्थिति रखनेवाले बैंकों और अन्य स्टेकधारकों के सहयोग से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, नीतियों और विनियमनों जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर तिमाही सार्वजनिक बैठकें आयोजित करें, आम जनता से प्रतिसूचना प्राप्त करें तथा ऐसी बैठकों में यथासंभव सीमा तक शिकायतों का निवारण उपलब्ध कराएं अथवा शिकायत निवारण के लिए समुचित व्यवस्था तक पहुँच बनाने हेतु सुविधा प्रदान करें।
- सामान्य रूप में बैंकों और बैंकिंग तथा अग्रणी बैंक योजना के विशिष्ट क्षेत्र और भूमिका पर भी जिला कलेक्टर और जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- बैंकों के परिचालन स्तर के स्टाफ तथा अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी सरकारी एजेंसियों को अद्यतन गतिविधियों तथा उभरते हुए अवसरों के प्रति जागरूक बनना है। निरंतर आधार पर सावधिक अंतरालों में स्टाफ को संवेदनशील बनाने/प्रशिक्षण देने/सेमिनारों के आयोजन आदि की आवश्यकता है।
- कई संस्थाएं और शिक्षाशास्त्री उस अनुसंधान और अध्ययन में लगे हैं जिसका प्रभाव कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में जारी विकास पर पड़ता है। ऐसी संस्थाओं और शिक्षाशास्त्रियों को शामिल करना अग्रणी बैंक योजना के अगले उद्देश्यों हेतु नये विचारों को लाने में उपयोगी होगा। अत: राज्य-स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समिति ऐसे शिक्षाशास्त्रियों और अनुसंधानकर्ताओं की पहचान करें और समय-समय पर राज्य-स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों में चर्चा को और महत्त्व देने तथा राज्य/जिले के लिए समुचित उत्पाद संरचना हेतु अध्ययनों के साथ उन्हें जोड़ने के लिए भी *विशेष आमंत्रिती* के रूप में आमंत्रित करें।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे इन अनुशंसाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू करें तथा इस संबंध में की गई प्रगति की भी निकट से निगरानी करें।

रिज़र्व बैंक मॉनेटरी एण्ड क्रेडिट इनफर्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता और पता	:	अल्पना किल्लावाला भारतीय : भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

ह /-

अल्पना किल्लावाला

दिनांक : 1 मार्च 2010 प्रकाशक के हस्ताक्षर

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।